न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 286/09 (वाद)
GCMS No. : 2009/00003

अनवान

1. श्री हजारीलाल पिता किशना लोहार मृतक के बजाय :-

1/1 श्री निखिल मुतबन्ना हजारीलाल लौहार नाबालिग बविलायत माता रतनीदेवी पत्नी सोहनलाल लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।

2. श्री लेहरू पिता किशना लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
3. श्री लालु पिता किशना लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
4. श्री रामलाल पिता किशना लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम

1. श्री गोवर्धन पिता हरिराम लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
2. श्री नारायणलाल पिता तुलसीराम लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
3. श्रीमती सीताबाई पत्नी तुलसीराम लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
4. श्री मोहनलाल पिता केशु लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
5. श्री नारायण पिता मोहनलाल लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 25.02.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 3 एक ही पिता की सन्तान है तथा उनकी मौरूसी आराजीयात ग्राम जेवाणा तहसील मावली के हल्के बेरूनी में स्थित है जो दल्ला पिता नवला के नाम से साबिक राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर विरासत से चली आ रही है। जिसके साबिक 577 रकबा 15 बिस्वा आराजी संख्या 587 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 588 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा थी जो विरासत से चली आ रही है। जिसके हाल राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 119... 0.01 बिस्वा, आराजी संख्या 1205

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 1.02 बिस्वा आराजी संख्या 3667/1205 रकबा 1.13 बिस्वा है यह आराजी दल्ला पिता नवला के नाम से होने से दल्ला के किशना व हरिराम दोनो जायन्दा पुत्र है। वादीगण किशना के पुत्र है तथा हरिराम के प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पोत्र और पुत्रवधु हैं। यह आराजी ग्राम जेवाणा की आबादी के पास स्थित होकर आराजी नम्बर 1193 व 1194 के बीच सडक निकली हुई है तथा आराजी नम्बर 1205 व 3667/1205 गांव से थोडी दूर है इन चारो आराजी में वादीगण की मौरूसी आराजीयात हैं।

2. यह कि इस मौरूसी आराजीयात का बंटवाडा नहीं हुआ है और खाता सामलाती चला आ रहा है। खाते में संयुक्त दर्ज हैं और हिस्सेनुसार व कब्जेनुसार कोई बंटवाडा नहीं हुआ है फिर भी प्रतिवादीगण 1 से 3 ने आराजी नम्बर 1193, 1194 व 1205 पर कब्जा कर रखा है तथा आराजी नम्बर 1194 व 1193 पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 कृषि जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे है जबकि इनके यहां कोई हक हिस्सा नहीं है फिर भी अपनी मर्जी से निर्माण कार्य कर रहा है। कृषि आराजीयात कृषि प्रयोजनार्थ है। वहां पर बिना वादीगण के सहमति के निर्माण कार्य कर रहे है जिनको स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है क्योंकि आराजीयात मौरूसी होकर बिना बंटवारे की है जब आराजीयात का बंटवाडा होगा तो कब्जे को लेकर विवाद रहेगा क्योंकि निर्माण कार्य प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सहयोग से कर रहे है इस आराजीयात में वादीगण का भी 1/2 हिस्सा निहित है ऐसी स्थिति में वादीगण अपना हक व हिस्सा प्राप्त नहीं कर पायेगे। वादीगणों ने प्रतिवादीगणों को निर्माण कार्य नहीं करने को कहा तो प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1, 2 को निर्माण कार्य नहीं करने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया लेकिन नहीं माने और निर्माण कार्य कर रहे है। वादीगण बंटवाडा का वाद अलग से पेश करेगे।

3. यह कि प्रतिवादीगणों को दिनांक 15.12.2009 को निर्माण कार्य नहीं करने हेतु कहा तो नहीं माने और आराजीयात पर निर्माण कार्य चालु रखा जिससे वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।

4. यह कि अगर प्रतिवादीगणों को निर्माण कार्य करने से नहीं रोका या तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयो से नहीं हो पायेगी और मुकदमे व आपसी रंजिस बढेगी जिस कारण से प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना आवश्यक हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

5. अन्त में निवेदन किया कि विवादित आराजीयात पर निर्माण कार्य नहीं करने की डिक्री पक्ष वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की फरमाई जावे कि ऐसा कार्य प्रतिवादीगण स्वयं नहीं करे या अपने अधीनस्थ नोकर, परिवारजन आदि से नहीं करावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 एक ही पिता की संतान नही हैं बल्कि वादीगण तंख्या 1, 2, 3, 4 के पिता का नाम किशनाजी है तथा प्रतिवादी संख्या एक गोरधन के पिता का नाम हरिराम है। प्रतिवादी संख्या दो नारायणलाल के पिता का नाम तुलसीराम है तथा प्रतिवादी संख्या तीन सीताबाई के पति का नाम तुलसीराम है। इस तरह वादीगण का यह लिखना कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 एक ही पिता की संतान है गलत लिखा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक गोरधन के दादाजी दल्लाजी है व नारायण के पडदादा है यानि वादीगण के पिता किशनाजी और मुझ प्रतिवादी संख्या एक गोरधन के पिता हरिरामजी दोनो सगे भाई थे। किशना एवं हरिरामजी ने अपने जीवनकाल में कुलिया आराजी 28 बीघा 1 बिस्वा का आज से करीब 70 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया था तथा अपने अपने हिस्से में आई जमीन पर किशनाजी, हरिराम जी काबिज हो गये। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा हैं। वादीगण ने आराजी नम्बर 1194, 1205, 3667/1205, के बारे में लिखा है जबकि राजस्व रिकार्ड में इन आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात भी है। जिनके नम्बर निम्न है 1193, 1211, 1214, 1215, 1218, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226 रेवेन्यु रिकार्ड में अंकन है इनका वादीगण ने इस वादपत्र मे कही भी अंकन नहीं किया है 70 वर्ष पहले जो आपसी बंटवारा किशनाजी एवं हरिराम जी के मध्य में हुआ था उस अनुसार वादीगण के हिस्से में आ०न 1211 का 1/2 भाग रकबा 3.18 बिस्वा 1214 पूरी रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा 1221 पूरी रकबा पांच बीघा दो बिस्वा, 1222 पूरी 15 बिस्वा, 1224 पूरी ग्यारह बिस्वा, 3667/1205 रकबा एक बीघा तेरह बिस्वा पूरी इस प्रकार कुल किता 6 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा वादीगण के हिस्से में आयी और इस पूरी जमीन पर इनका कब्जा चला आ रहा है हम प्रतिवादीगण के कब्जे में आयी जमीन का ब्यौरा इस प्रकार है आराजी न. 1211 का 1/2 हिस्सा तीन बीघा सत्रह बिस्वा, 1193 पूरी सोलह बिस्वा, 1194 पूरी एक बिस्वा 1205 एक बीघा दो बिस्वा, 1215 एक बीघा अठारह बिस्वा, 1218 तीन बीघा बारह बिस्वा 1223 बारह बिस्वा, 1225 सोलह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा, इस तरह कुल किता आठ रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, आराजी न० 1226 रकबा तेरह बिस्वा किस्म रास्ता है यह सामलाती रखा है जिस समय बंटवाड़ा हुआ था उस तमय फतहनगर से नाथद्वारा कोई रोड़ निकली दर्ज नहीं थी हमारे हिस्से में आई दर्ज भूमि आ०न० 1193 में आई रोड फतहनगर से नाथद्वारा निकली है वह रकबा भी हमारे हिस्से में से कम हुआ है, वादीगण के पिताजी ने ग्राम पंचायत जैवाणा को लिखकर दिया था कि आ.न० 1193 आपसी बंटवारा में तुलसीराम व गोरधन के हिस्से में आयी है इसलिए इसका मुआवजा इनको दे दिया जावे इसकी तस्दीक 21.7.80 को ग्राम पंचायत जैवाणा ने स्वयं ने की है इस तरह कुलिया आराजी का बंटवारा हो चुका है सड़क आराजी नम्बर 1193 में निकली हुई है।

7. यह कि कुलिया आराजी का बंटवारा हो चुका है तथा उस अनुसार ही अपने अपने हिस्से में मकान भी बना रखे है स्वयं वादीगण ने आराजी 1211 में करीब 20 साल पूर्व एक मकान बना रखा है तथा वहा चक्की व इंजन भी लगा रखा है इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य मौखिक रूप से आराजीयात का बंटवारा काफी वर्ष पूर्व ही हो चुका है और उसी वजह से वादीगण ने उसमें मकान बनाया है इस तरह हम प्रतिवादीगण ने आराजी नम्बर 1193 एवं 1194 को शामिल करके मुझ प्रतिवादी गोरधन व नारायण के मकान बने हुए है तथा रोड के दूसरी साइड में मोहनलाल व नारायण के मकान बने हुए है तथा इसी में हमने आरामशीन, चक्की दुकाने व देवता का स्थान बना रखा है तथा एक भूखण्ड हम प्रतिवादी के पिता हरिराम एवं तुलसीराम जी का हो हमारे बहनोई प्रतिवादी संख्या 4 मोहनलाल को दे रखा है जिस पर प्रतिवादी संख्या 4, 5 मकान बनाकर निवास कर रहे है अगर वास्तव में बंटवारा नहीं होता तो 30 साल पहले जब मकान बनाये तो उस समय ही वादीगण के पिता विरोध कर देते लेकिन उन्होने उसका कोई विरोध नहीं किया और स्वयं ने यह लिखकर दिया कि उनकी जमीन हरिराम एवं तुलसीराम जी की है ऐसी अवस्था में वादीगण द्वारा अब केवल 1193 के लिए दावा लाना गलत हैं। इसके अलावा वादीगण ने अपने वाद में इस तथ्य को छिपाया है, 1193 में सडक के दोनो साइड में मकान, दुकाने एवं आरा मशीन बनी हुई है इस तरह वादी न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नही आये है और जब 1193 में 30 वर्ष पहले से ही मकान बने हुए है, सडक से दक्षिण वाले भाग में हम प्रतिवादीगण मोहनलाल व नारायणलाल के मकान बना रखे है तथा उत्तर वाले भाग में हम प्रतिवादी 1 से 3 की दुकाने बनी हुई है और दुकानो के पीछे आरा मशीन लगी हुई है इन सब तथ्यों को वादीगण ने जानबुझकर छिपाये है। आराजी नम्बर 1194 एक बिस्वा रास्ता है यह रास्ते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

जमीन भी हम प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से में आयी है और हमारा कब्जा है नोटिस का जवाब भी दे दिया गया है इस तरह वादीगण ने सारे तथ्य गलत अंकित किये हैं।

8. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने समस्त खाते की आराजीयात का वर्णन नहीं करके न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाकर वाद पेश किया है तथा वाद भी केवल स्थाई निषेधाज्ञा का ही पेश किया है उसके साथ बंटवारा का कोई दावा नहीं है इस कारण से भी वाद खारिज होने योग्य हैं। चूंकि वर्तमान में खाता संयुक्त ही चला आ रहा है तथा बाद में रोड निकल जाने से वादीगण के मन में दुर्भावना लोभ लालच की भावना जागृत हो गई है इसलिए उसी भावना के वशीभूत होकर के हम प्रतिवादीगण को जलील व तंग करने की नियत से यह वाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य हैं। वादीगण ने इस खास तथ्य को भी छिपाया है कि 30 साल पहले प्रतिवादी ने मकान व दुकाने बना ली है इसलिए भी यह वाद चलने योग्य नहीं हैं।

9. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :—

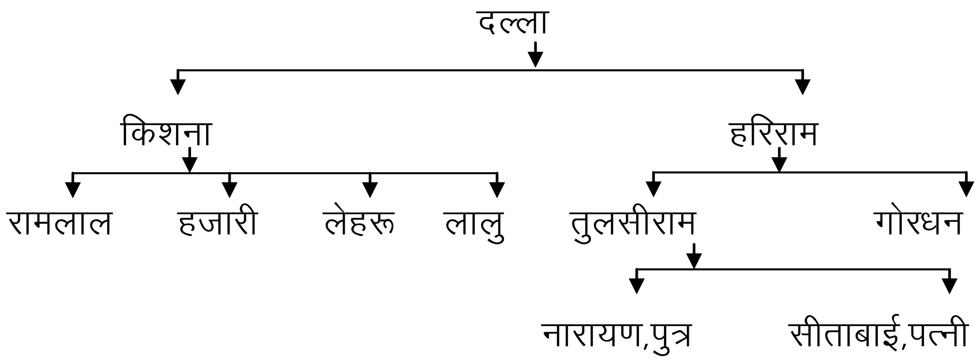

उपरोक्त सजरे के अनुसार दल्लाजी के दो लडके किशना व हरिराम हुए इनमें से हरिराम जी को मरे 40 साल हो गये तथा किशना जी को मरे 15 साल हो गये। वादीगण किशनाजी के लडके है तथा मै प्रतिवादी गोरधनलाल हरिराम जी का लडका हूं तथा हरिराम जी के दुसरे लडके तुलसीराम का भी स्वर्गवास हो चुका है मैं प्रतिवादी नारायणलाल, तुलसीराम जी का लडका हूं तथा मैं सीताबाई तुलसीराम की पत्नी हूं, प्रतिवादी संख्या 4 मोहनलाल जी मुझ गोरधन के बहनोई है तथा प्रतिवादी संख्या 5 नारायणलाल मुझ गोरधनलाल का भांजा है धापूबाई मुझ गोरधन की बहन हैं जिसकी शादी चाखुडा मोहनलाल जी के साथ कराई लेकिन गत 35 साल से मोहनलाल जी जेवाणा में आकर बस गये चूंकि यह हमारे बहनोई थे इसलिए हमने इनको हमारे बंटवारे में [illegible] आराजी नम्बर 1193 में से दक्षिण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

दिशा की स्कूल के पास में स्थित जमीन इनको दी और उसमें सन 1980 में इन्होने मकान बनाया उस समय में मोहनलाल व नारायणलाल निवास कर रहे है, मकान के पीछे पांच दुकाने भी बनाई है जो पट्टीयों की फड तक पुरी हो चुकी है।

10. यह कि हमारी सामलाती आराजी का बंटवारा आज से करीब 70 वर्ष पूर्व हो चुका था और बंटवारे के अनुसार ही अलग अलग कब्जे चले आ रहे है उसका हम प्रतिवादी ने मौके के हिसाब से नक्शे बनाये उसमें क, ख वाला नक्शा प्रतिवादी के हिस्से में आई हुई जमीन का है उसमें वर्तमान में जो जो निर्माण कार्य कर रखा है उसको उसमें दर्ज किया गया है एवं ख वाले नक्शें में 1211 में 1/2 हिस्सा वादीगण का है जो उत्तर दिशा में बता रखा है तथा दक्षिण दिशा वाले को क चिन्ह से अंकित किया है वो हम प्रतिवादी का बता रखा है। इसी तरह वादीगण के हिस्से में जो जमीन बंटवारे में आयी हुई है उसका नक्शा ग में बताया है इस तरह तीनो नक्शें क, ख, ग इस काउन्टर क्लेम का अंग है और उन्ही नक्शों के अनुसार क, ख वाली नक्शें की जमीन हम प्रतिवादी के खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी है तथा बंटवारा में ग वाली जमीन नक्शें में वादीगण के खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी हैं। वादीगण ने तथ्यों को छिपाकर यह अधुरा वाद पेश किया है इसलिए हम प्रतिवादीगण को वादीगण के विरूद्व यह काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करना पड रहा है जिसकी बिनाय मुखास्मत वादीगण द्वारा 21.01.2009 को वाद प्रस्तुत करने से उत्पन्न हुई और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

11. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खाजिर फरमाया जाकर हमारा काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर के वर्तमान में जो पूर्व में बंटवारा हो चुका है उस बंटवारानुसार जो जमीन जिनके कब्जे में है बंटवारा में वो आराजी उन्ही के कब्जे में रखाई जाकर विभाजन करा अलग अलग स्वतन्त्र रूप से खातेदारी में घोषित फरमाई जावें।

12. वादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि काउन्टर क्लेम में जो सजरा खानदान बताया गया है वह स्वीकार हैं। आराजी संख्या 1193 रकबा 16 बिस्वा, 1194 रकबा 1 बिस्वा, 1205 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 3667/1205 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा ही स्व. दल्ला जी पिता नवला जी लुहार के खातेदारी व कब्जे की थी और उक्त जमीन विरासत से वादीगण के स्वर्गीय पिता किशना जी का उसमें 1/2 हिस्सा व किशना जी के छोटे भाई हरीराम जी का 1/2 हिस्सा और स्व. हरीराम जी के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को प्रतिवादी संख्या 4, 5 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

जमीन बिना बंटवारा करवाये विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वो निश्चित भू भाग बिना बंटवारा करवाये विक्रय नहीं कर सकते थे और इस तरह का किया गया विक्रय वादीगण के मुकाबले शून्य हैं। 70 वर्ष पूर्व वादीगण के स्वर्गीय पिता किशना जी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व नारायण के दादाजी व सीता के ससुर जी के मध्य कोई बंटवाडा नहीं हुआ था और काउन्टर क्लेम के साथ जो क, ख बंटवारा बताया गया है वह फर्जी बताया गया है और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त फर्जी बंटवाडे के आधार पर वादीगण के स्व. पिता किशना के द्वारा स्वअर्जित आय से खरीदी हुई कृषि को हडपना चाहते है इसलिए उक्त काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। सही तथ्य यह है कि वादीगण के स्व. पिता किशना जी ने जेवाणा के जागीरदार से जो कृषि भूमि खरीदी उसका विवरण निम्न हैं :–

सेटलमेन्ट से पूर्व के नम्बर		सेटलमेन्ट के बाद के नम्बर	
आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
1. 549/2	6.19 बीघा	1211	7.15 बीघा
		1224	0.11 बीघा
		1225	0.15 बीघा
		1226	11.03 बीघा
2. 550	3.13 बीघा	1221	5.02 बीघा
3. 551/2	1.00 बीघा	1222	0.15 बीघा
		1223	0.12 बीघा
4. 554	0.02 बीघा		
5. 555	1.04 बीघा		
6. 557	1.01 बीघा	1218	3.12 बीघा
7. 558	0.06 बीघा		
8. 559/2	3.00 बीघा	1214	2.15 बीघा
		1215	1.18 बीघा

कुल किता 8 कुल रकबा 17.05 बीघा

उक्त आराजीयात स्व. किशना पिता दल्ला जी जेवाणा के जागीरदार से खरीदी थी और उनके कब्जे में थी और इसका लगान स्वर्गीय किशना जी जमा करवाते थे। उक्त आराजीयात के किशनाजी के छोटे भाई हरीराम जी का कोई हक या अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर अपना हिस्सा गलत अंकित करवाया हैं जबकि स्व. दल्ला जी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

आराजी जिसका वर्णन वादीगण ने अपने वाद पत्र में किया है वो ही आराजीयात उनके खातेदारी व कब्जे की थी और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उसी आराजीयात का बंटवारा करवा सकते हैं।

13. यह कि वादीगण ने जो स्व. दल्ला जी पिता नवला जी लुहार के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात आराजी संख्या 577 रकबा 15 बिस्वा, 587 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व आराजी संख्या 581 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा उनके खातेदारी व कब्जे की थी और उनके नये नम्बर जो बने उनका विवरण वाद पत्र में अंकित है उसका बंटवाडा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से करवाने में वादीगण को कोई एतराज नहीं हैं। प्रतिवादीगण धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत कोई घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है और स्वर्गीय दल्ला जी के खातेदारी की जो आराजीयात है जिसका विवरण वादीगण ने वादपत्र में किया है उसका बंटवाडा करवाने में वादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

14. अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम आंशिक स्वीकार फरमाया जाकर स्वर्गीय दल्ला जी के खातेदारी की आराजी संख्या 577 रकबा 15 बिस्वा, जिसके नये नम्बर 1193 रकबा 16 बिस्वा, 1194 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 587 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जिसके नये नम्बर 1205 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 588 रकबा 16 बिस्वा जिसके नये नम्बर 3667/1205 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा करवाये जावें।

15. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा व काउण्टर वाद के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए प्रतिवाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

16. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तह. मावली की नकल जमाबंदी संवत 2064-2067 के खाता संख्या 587 पर दर्ज आराजी नम्बर 1193, 1194, 1205, 1211, 1214, 1215, 1218, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 3667/1205 किता 14 कुल रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम सह[illegible] हक से दर्ज है। वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

केवल मात्र आराजी नम्बर 1193, 1194, 1205, 3667/1205 के संबंध मे वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं। **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि एक सह–अभिधारी (संयुक्त) जोत के प्रत्येक इंच के कब्जे में माना जाता है और उसके विरूद्ध कोई व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता हैं। यह विचार आर.आर.डी. 88 द्वारा समर्थित है, जिसमें अस्थायी व्यादेश की स्वीकृति और उक्त प्रश्न पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि–सह–अभिधारियों के मामले में, एक व्यथित सह–अभिधारी को विभाजन (बंटवारे) का एक सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त बीरबल बनाम रामसुख 1976 आर.आर.डी. 222 में भी स्पष्ट किया गया है कि एक सह–अभिधारी अपने भाई (सह–अभिधारी) के विरूद्ध धारा 188 के अधीन स्थायी व्यादेश के लिए वाद नहीं ला सकता, क्योंकि सिद्धान्त में प्रत्येक पक्षकार वाद–भूमि के प्रत्येक इंच के कब्जे में रहता है। अतः एक सह अभिधारी को अन्य सह अभिधारियों को कब्जे से हटाने का कोई अधिकार नहीं हैं।** उक्त प्रकरण में भी वादी द्वारा सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा काउण्टर क्लेम के जरिये कब्जे अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहा। परन्तु न्यायालय हाजा के एक अन्य प्रकरण संख्या 187/11 वाद उनवान हजारीलाल बनाम गोवर्धन इन्ही आराजीयात बाबत वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है जिसमें वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में घोषणा चाही गई है। इस उक्त वाद में सभी खातेदारो के हिस्से संबंधी अधिकार तय नही हो जाते है तब तक वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा किया जाना न्यायोचित नही है। प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 187/11 वाद उनवान हजारीलाल बनाम गोवर्धन में काउण्टर वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। जिससे की सहखातेदारो के हिस्से संबंधि अधिकार तय कर बंटवाड़े के आदेश दिए जा सकेंगें। उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर वादीगण का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का सहखातेदारों के विरूद्ध चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य पाया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का काउण्टर वाद हिस्से संबंधि विवाद होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का काउण्टर वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं। न्यायालय हाजा के अन्य प्रकरण संख्या 187/11 वाद उनवान हजारीलाल बनाम गोवर्धन में प्रतिवादीगण काउण्टर वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री हजारीलाल पिता किशना लोहार मृतक के बजाय :–

1/1 श्री निखिल मुतबन्ना हजारीलाल लौहार नाबालिग बविलायत माता रतनीदेवी पत्नी सोहनलाल लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।

2. श्री लेहरू पिता किशना लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
3. श्री लालु पिता किशना लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
4. श्री रामलाल पिता किशना लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम

1. श्री गोवर्धन पिता हरिराम लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
2. श्री नारायणलाल पिता तुलसीराम लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
3. श्रीमती सीताबाई पत्नी तुलसीराम लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
4. श्री मोहनलाल पिता केशु लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
5. श्री नारायण पिता मोहनलाल लौहार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 286/09 (वाद)

GCMS No. : 2009/00003

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का काउण्टर वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं। न्यायालय हाजा के अन्य प्रकरण संख्या 187/11 वाद उनवान हजारीलाल बनाम गोवर्धन में प्रतिवादीगण काउण्टर वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.02.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested